भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
वनस्पति संरक्षण,संगरोध एवं संग्रह निदेशालय

ई–समाचार पत्रिका

प्रति संख्या 2/2024-25

जुलाई–सितंबर 2024

वनस्पति संरक्षण सलाहकार की कलम से

पिछली तिमाही के दौरान निदेशालय द्वारा अनेक उल्लेखनीय कार्यक्रम आयोजित किए गए, तथा इस अवधि की प्रमुख घटनाओं को साझा करते हुए मुझे अत्यंत खुशी हो रही है।

हर्षोल्लास के अवसर 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौक़े पर दिनांकः15 अगस्त 2024 को माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने डॉ. सी. सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम, एनएएससी कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली में राष्ट्रीय नाशीजीव निगरानी प्रणाली (एनपीएसएस) का शुभारंभ किया। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में माननीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर और श्री भागीरथ चौधरी भी उपस्थित थे। साथ ही देश भर से आये 1000 से अधिक किसानों की भागीदारी ने इस अवसर को और भी अधिक प्रेरणादायक एवं आकर्षक बना दिया।

एनपीएसएस एक उल्लेखनीय डिजिटल पहल है जो वर्तमान में 61 फसलों के लिए प्रमुख कीटों- बीमारियों की पहचान कर सकती है तथा 15 महत्वपूर्ण फसलों की सक्रिय रूप से निगरानी में सहयोग करता है। यह कीट-व्याधियों के हमलों एवं फसल रोगों का त्वरित समाधान प्रदान करके किसानों को काफी लाभ पहुंचाएगा, जिससे फसल के नुकसान को कम करने के साथ ही उत्पादकता में सुधार होगा।

विश्व पर्यावरण दिवस 2024 पर भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा शुरू किए गए वैश्विक अभियान "एक पेड़ माँ के नाम" में पहल करतें हुये निदेशालय ने देश भर में वृक्षारोपण अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया।

निदेशालय ने स्वच्छ भारत मिशन की 10वीं वर्षगांठ पर स्वच्छता और पर्यावरणीय स्थिरता पर जोर देने के लिए "स्वभाव स्वच्छता - संस्कार स्वच्छता" थीम के साथ स्वच्छता ही सेवा अभियान को पूरी तत्परता के साथ आयोजित किया।

इसके अतिरिक्त, निदेशालय ने 14 से 28 सितम्बर 2024 तक विभिन्न कार्यक्रमों एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन करके उत्साह के साथ हिन्दी पखवाड़ा मनाया।

राज्य बागवानी विभागों के अधिकारियों के लिए शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कश्मीर (एसकेयूएएसटी-के), श्रीनगर में 11.07.2024 से 09.08.2024 के दौरान सेब की फसल पर एक सीजन लॉन्ग ट्रेनिंग प्रोग्राम (एसएलटीपी) आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सेब की फसल को प्रभावित करने वाले एप्पल लीफ ब्लॉच माइनर (एएलबीएम) और अन्य महत्वपूर्ण कीटों तथा बीमारियों के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया गया।

इस अवधि के दौरान निदेशालय ने किसानों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और राज्य कृषि/बागवानी विभाग के अधिकारियों के लिए किसान खेत पाठशाला तथा उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से वनस्पति संरक्षण में मानव संसाधन विकास हेतु महत्वपूर्ण योगदान दिया।

अंत में, मैं सभी अधिकारियों एवं संबद्ध भागीदारों को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनके निरंतर प्रयासों से एनपीएसएस ऐप का सफल लॉन्च संभव हो सका । उम्मीद है, हमारे सहयोगी प्रयास भारतीय कृषि की उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे।

साथ ही मैं निदेशालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से आग्रह करता हूं कि वे हमारी नियमित गतिविधियों तथा विशिष्ट अभियानों के माध्यम से किसानों के बीच एनपीएसएस ऐप एवं इससें जुड़ें अनेक लाभों को प्रसारित कर इस ऐप के अंगीकरण को बढ़ावा दें।

-डॉ जे .पी .सिंह
वनस्पति संरक्षण सलाहकार

सूची:

- प्रमुख कार्यक्रम
- अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता
- गणमान्य अतिथियों का भ्रमण
- प्रशिक्षण एवं कार्यशालाएं
- विशिष्ट उपलब्धि एवं समारोह
- भारत का राजपत्र अधिसूचनाएँ
- मीडिया कवरेज

प्रमुख कार्यक्रम

एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन सह टिड्डी प्रभाग के प्रयास:

- इस अवधि के दौरान **3.66** लाख हेक्टेयर फसल क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया।
- समाप्त तिमाही के दौरान नाशीजीव प्रबंधन के लिए **0.47** लाख हेक्टेयर क्षेत्र में **1055.96** मिलियन जैव-नियन्त्रण कारक जारी किए गए।
- **2.67** लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में जैव- नियंत्रण कारकों का सफलतापूर्वक संरक्षण किया गया।
- रेगिस्तानी टिड्डी सर्वेक्षण कार्य **50.877** लाख हेक्टेयर में किया गया एवं इसी अवधि के दौरान भारत और पड़ोसी देशों में टिड्डियों की मौजूदा स्थिति पर प्रकाश डालते हुए कुल **06** टिड्डी सूचना बुलेटिन प्रकाशित किये गए ।
- इस अवधि के दौरान **149** किसान खेत पाठशाला (एफएफएस) आयोजित किए जा रहे हैं जिसमें **5212** किसानों को आईपीएम तकनीक के बारे में प्रशिक्षित किया जा रहा है।
- कुल **45** "दो दिवसीय मानव संसाधन विकास कार्यक्रम" आयोजित किए गए जिसमें **2361** कृषि विस्तार अधिकारी, गैर सरकारी संस्था, अग्रणी किसान, निजी उद्यमी को आईपीएम उपायों पर प्रशिक्षित किया गया।
- इसी अवधि के दौरान **04**, पांच दिवसीय मानव संसाधन विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए जहां राज्य कृषि विभाग के **162** एईओ को आईपीएम उपायों पर प्रशिक्षित किया गया।

वनस्पति संगरोध (व.सं. केन्द्रों द्वारा किए गए प्रयास) :

- कृषि उत्पादों के निर्यात को सुगम बनाने में सहयोग करते हुए इस दौरान **73.43** लाख मीट्रिक टन कृषि उत्पादों के निर्यात लिए कुल **1,30,840** पादप स्वच्छता प्रमाणपत्र जारी किये गए।
- **55.46** लाख मीट्रिक टन आयातित कृषि उत्पादों का निरीक्षण उपरांत कुल **39,298** आयात निगमन मंजूरी जारी की गई।
- प्रभावी पादप संगरोध निरीक्षण प्रणाली के माध्यम से आयातित कृषि उत्पादों के **502** खेपों में **14** संगरोध नाशीजीवों का पता लगाकर भारत में प्रवेश को रोकने में सफलता मिली ।
- फाइटोसैनिटरी मुद्दों पर सफलतापूर्वक बातचीत कर निर्यात के लिए **02** नए बाजार तक पहुंच हासिल की।

तिमाही के दौरान एजेंसियों के पंजीकरण/मान्यता प्रमाणपत्र का विवरण

पंजीकृत/मान्यता प्राप्त एजेंसियों के नाम	संख्या
गर्म पानी विसर्जन उपचार (एचडब्लूइटी)	1
संयुक्त राज्य अमेरिका को चावल निर्यात के लिए चावल मिलें/प्रसंस्करण इकाइयाँ	2
चीन को चावल निर्यात के लिए चावल मिलें/प्रसंस्करण इकाइयाँ	2
मूंगफली के निर्यात के लिए प्रसंस्करण इकाइयाँ	1
ऑस्ट्रेलिया में अनार के फलों के निर्यात के लिए पैक हाउस	2

केंद्रीय कीटनाशक प्रयोगशाला, क्षेत्रीय नाशीजीव जांच प्रयोगशाला एवं तकनीकी विधायी अनुभाग:

- आर.पी.टी.एल. के द्वारा कुल 1517 नाशीजीवनाशकों के नमूनों का परीक्षण किया गया इनमें से 32 को निम्न मानक (Misbranded) घोषित किया गया।
- सी.आई.एल. ने 523 नाशीजीवनाशकों के नमूनों का परीक्षण किया, जिनमें से 226 निम्न मानक (Misbranded) के पाए गए।

केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड एवं पंजीकरण समिति:

- पंजीकरण समिति के द्वारा कुल 2297 नाशीजीवनाशकों के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया गया जिसमें 79 बायो- पेस्टिसाइड, 494 निर्यात एवं 1724 रासायनिक नाशीजीवनाशकों के लिए जारी हुए ।

नई नियुक्तियां:
समाप्त तिमाही के दौरान निदेशालय में कुल 02 अवर श्रेणी लिपिक और 01 उप निदेशक (टॉक्सिकोलॉजी) के पद पर नियुक्त किया गया ।

शुभकामनाएं

राजभाषा हिंदी: डॉ. जे.पी. सिंह, पीपीए की अध्यक्षता में राजभाषा पर त्रैमासिक बैठक 09.09.2024 को डीपीपीक्यूएस मुख्यालय में आयोजित की गई। बैठक में निदेशालय के अधिकारी/कर्मचारी शामिल हुए।

निदेशालय द्वारा 14 सितम्बर 2024 को हिन्दी दिवस तथा 14-18 सितम्बर 2024 तक विभिन्न कार्यक्रमों एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन करके हिन्दी पखवाड़ा मनाया जाएगा।

योजना और समन्वय इकाई:

- 27 और 28 अगस्त, 2024 को सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम) द्वारा आयोजित "संसदीय मामलों को संभालना (एचपीएम-05)" पर ऑनलाइन कार्यशाला में 11 प्रतिभागियों की भागीदारी को सुगम बनाया।
- तिमाही के दौरान कुल 75 आरटीआई अनुरोधों और 71 परिवादों का समाधान किया गया।
- 09 और 10 सितंबर, 2024 को सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम) द्वारा आयोजित "पीएफएमएस (ओटीपी-पीएफएमएस) पर अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम" में निदेशालय के तीन अधिकारियों ने भाग लिया।
- 09.09.2024-13.09.2024 के दौरान एनआईपीएचएम, हैदराबाद द्वारा आयोजित "आईएसओ/आईईसी/17025:2017 के अनुसार प्रयोगशाला गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली और आंतरिक लेखा परीक्षा" पर प्रशिक्षण में निदेशालय के तीन अधिकारियों की भागीदारी को सुगम बनाया।
- निदेशालय के दस अधिकारियों ने 23 से 27 सितंबर, 2024 के दौरान एनआईपीएचएम, हैदराबाद द्वारा आयोजित "फल मक्खी निगरानी पर प्रशिक्षण" में भाग लिया।

अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता

कैनबरा फ़ेलोशिप प्रोग्राम" – जैव सुरक्षा

डॉ. वसुधा गौतम, संयुक्त निदेशक (ई), डॉ. पाबेल मजूमदार, सहायक निदेशक (पीपी) एवं डॉ. नरेंद्र कुमार गुंडा, एपीपीओ (ई) ने 26.08.2024 से 30.08.2024 के दौरान कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित "कैनबरा फेलोशिप प्रोग्राम" में भाग लिया।

गणमान्य अतिथियों का भ्रमण

श्री फैज अहमद किदवई, अपर सचिव (पीपी) द्वारा आरसीआईपीएमसी, लखनऊ का दौरा

श्री फैज अहमद किदवई, अपर सचिव (पीपी), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 4 जुलाई, 2024 को आरसीआईपीएमसी, लखनऊ में जैव-नियंत्रण एवं बायो-पेस्टिसाइड परीक्षण प्रयोगशालाओं का अवलोकन किया।

श्री फैज अहमद किदवई, अपर सचिव (पीपी) द्वारा सीआईपीएमसी, इंदौर का दौरा

ट्राइकोग्रामा प्रयोगशाला

श्री फैज अहमद किदवई, अपर सचिव (पी.पी.), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 11 जुलाई, 2024 को सीआईपीएमसी, इंदौर का भ्रमण कर प्रयोगशाला सेटअप का अवलोकन किया तथा एनपीएसएस, एफएफएस और एचआरडी प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में चालू वर्ष की कार्य योजना और प्रस्तावित गतिविधियों की समीक्षा की।

डॉ. जे पी सिंह, पीपीए द्वारा सीआईपीएमसी, इंदौर का भ्रमण

डॉ. जे. पी. सिंह, पीपीए ने 16.08.2024 को सीआईपीएमसी, इंदौर कार्यालय एवं प्रयोगशाला सेटअप का अवलोकन किया तथा एनपीएसएस, एफएफएस और एचआरडी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संबंध में चालू वर्ष की कार्य योजना और प्रस्तावित गतिविधियों की समीक्षा की।

विशिष्ट उपलब्धि एवं समारोह

"प्लांटिक्स" के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी श्री रॉब स्ट्रे एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सह-संस्थापक श्रीमती सिमोन स्ट्रे का निदेशालय विजिट

"प्लांटिक्स" ऐप के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी श्री रॉब स्ट्रे तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सह-संस्थापक श्रीमती सिमोन स्ट्रे ने दिनांकः 02.09.2024 को डीपीपीक्यूएस, मुख्यालय का भ्रमण अपने ऐप "प्लांटिक्स" का राष्ट्रीय नाशीजीव निगरानी प्रणाली (एनपीएसएस) ऐप के साथ एकीकरण करने के बारें में चर्चा की।

क्रेता-विक्रेता बैठक, एफपीओ के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम

डॉ. रश्मि पांडे, स.निदेशक (ई) ने 23 जुलाई, 2024 को यशदा, पुणे में महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एमएसएएमबी), पुणे और एशियाई विकास बैंक द्वारा सहायता प्राप्त महाराष्ट्र कृषि व्यवसाय नेटवर्क (मैग्नेट) परियोजना के संयुक्त सहयोग से आयोजित एफपीओ के लिए क्रेता-विक्रेता बैठक, क्षमता निर्माण कार्यक्रम में भाग लिया। बैठक में कृषि निर्यात से जुड़े कुल 173 हितधारक उपस्थित थे।

फलों, सब्जियों और फूलों के निर्यात पर शिखर सम्मेलन

डॉ. ब्रजेश मिश्रा, संयुक्त निदेशक (ई) ने 22 अगस्त, 2024 को यशदा, पुणे में महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एमएसएएमबी), पुणे और एशियाई विकास बैंक द्वारा सहायता प्राप्त महाराष्ट्र कृषि व्यवसाय नेटवर्क (मैग्नेट) परियोजना के संयुक्त सहयोग से आयोजित फलों, सब्जियों और फूलों के निर्यात पर आयोजित सम्मेलन में भाग लिया । विभिन्न एफपीओ के कुल 160 सदस्यों ने इस सम्मेलन में उपस्थित रहें ।

राष्ट्रीय नाशीजीव निगरानी प्रणाली (एनपीएसएस) का शुभारंभ

श्री शिवराज सिंह चौहान, माननीय मंत्री, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने 15 अगस्त 2024 को डॉ. सी. सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम, एनएएससी कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली में राष्ट्रीय नाशीजीव निगरानी प्रणाली (एनपीएसएस) एप्लीकेशन का शुभारम्भ किया। कार्यक्रम के दौरान श्री रामनाथ ठाकुर एवं श्री भागीरथ चौधरी, माननीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री, भारत सरकार भी उपस्थित थे।

एनपीएसएस को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय, फरीदाबाद, भाकृअनुप-राष्ट्रीय समेकित नाशीजीव प्रबंधन अनुसंधान केंद्र (एनसीआईपीएम) दिल्ली, प्लांटिक्स तथा वाधवानी-एआई के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।

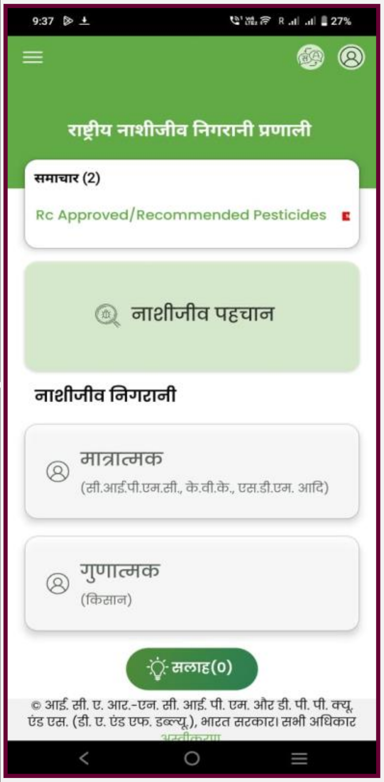

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) जैसी नवीनतम तकनीकों का उपयोग कर "एनपीएसएस" कीट-व्याधियों के समय पर और सटीक प्रबंधन सलाह देने के लिए बनाया गया है। इस प्रणाली में उपयोगकर्ता के अनुकूल मोबाइल ऐप एवं वेब पोर्टल शामिल है, जो सभी किसानों तक सुगमता से पहुंच सुनिश्चित करता है। वास्तविक समय के डेटा और उन्नत विश्लेषण का लाभ उठाकर, एनपीएसएस सटीक नाशीजीव पहचान, निगरानी तथा प्रबंधन को सक्षम बनाता है।

यह ऐप 61 फसलों के महत्वपूर्ण कीटों और रोगों की पहचान करने में सक्षम है तथा वर्तमान में 15 महत्वपूर्ण फसलों (कपास, धान, गेहूं, मक्का, अरहर, मूंग, सोयाबीन, गन्ना, बैंगन, टमाटर, सेब, केला, अंगूर, अनार) के कीटों और रोगों की निगरानी के लिए उपलब्ध है। निकट भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण फसलें भी इसमें जोड़ी जाएंगी।

सिस्टम द्वारा संकलित व्यापक नाशीजीव डेटा एवं स्वचालित सलाह किसानों को समय पर उचित कार्रवाई योग्य जानकारी प्रदान कर उन्हें सही निर्णय लेने तथा अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए सक्रिय उपाय करने में मदद करेगी।

एनपीएसएस का शुभारंभ भारत में कृषि को आधुनिक बनाने, खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने तथा टिकाऊ कृषि तकनीक को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पहल किसानों के कल्याण और कृषि क्षेत्र की उन्नति के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

जैविक खेती एवं प्रमाणीकरण हेतु प्रमाणन पाठ्यक्रम के आवासीय प्रशिक्षण में सहभागिता

आरसीओएनएफ, कृषि मंत्रालय, नागपुर द्वारा जैविक खेती एवं प्रमाणीकरण विषय पर प्रमाणन पाठ्यक्रम के 21 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण सत्र में, डॉ. ए.के.बोहरिया, संयुक्त निदेशक, आरसीआईपीएमसी नागपुर ने 07.08.2024 को कृषि पारिस्थितिकी तंत्र में आईपीएम की भूमिका पर व्याख्यान दिया।

"कीट जीनोमिक्स तथा नाशीजीव प्रबंधन में इसकी संभावनाएं" विषय पर विचार-मंथन में भागीदारी

डॉ. डी.के. नागराजू, सं. निदेशक (ई) ने 23 अगस्त 2024 को एनबीएआईआर, बेंगलुरु में "कीट जीनोमिक्स तथा नाशीजीव प्रबंधन में इसकी संभावनाएं" विषय पर आयोजित ब्रेनस्टॉर्मिंग सत्र में एक विशेषज्ञ पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया।

देशभक्ति की भावना से भरा हर्षोल्लास का पर्व स्वतंत्रता दिवस

15 अगस्त को निदेशालय के समस्त कर्मचारियों द्वारा 78वां स्वतंत्रता दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया । सीआईबीएंडआरसी परिसर में डॉ. जे.पी. सिंह, पीपीए द्वारा तिरंगा फहराने के साथ ही इस अवसर पर उपस्थित जनों के बीच अपना उद्बोधन भी दिया गया।

Happy Independence Day

कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्रशिक्षण कार्यक्रम में "कृषि एवं वृक्षारोपण में पादप स्वच्छता उपाय - पीक्यूएस की भूमिका" पर तकनीकी सत्र

23-26 जुलाई 2024 तक नाबार्ड टावर्स बेंगलुरु में एफआईईओ, कर्नाटक चैप्टर और नाबार्ड के सहयोग से केएपीपीईसी द्वारा आयोजित कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्रशिक्षण कार्यक्रम के तकनीकी सत्र में "कृषि और वृक्षारोपण में फाइटोसैनिटरी उपाय-पीक्यूएस की भूमिका" विषय पर डॉ. मधु जी. के., एपीपीओ (डब्ल्यूएस), आरपीक्यूएस, बेंगलुरु ने अतिथि व्याख्यान दिया।

कृषि मंत्रणा-2024 में भागीदारी

डॉ. जी. पी. सिंह, संयुक्त निदेशक (ई) ने "सैम हिगिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय", प्रयागराज, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित कृषि मंत्रणा-2024 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने प्रतिभागियों को आईपीएम तकनीक की आवश्यकता, कीटनाशक अवशेषों से जुड़ें मुद्दों और आईपीएम में उद्यमिता की संभावनाओं के बारे में बताया। साथ ही एनपीएसएस एप्लीकेशन के उपयोग और इसके महत्व के बारे में भी चर्चा की।

इतिहास के पन्नों से

समय के साथ सीआईएल, आरपीटीएल और टीएलसी...

1981 — केंद्रीय कीटनाशक प्रयोगशाला (सीआईएल) की स्थापना

कीटनाशक अधिनियम, 1968 के अंतर्गत भारत में कीट प्रबंधन दृष्टिकोण के सुदृढ़ीकरण तथा आधुनिकीकरण की योजना (एसएमपीएमए) के तहत केंद्रीय कीटनाशक प्रयोगशाला (सीआईएल) की स्थापना, 28 फरवरी, 1981 की गई ।

1981 — सीआईएल के प्रभाग

सीआईएल के चार प्रभाग हैं: रसायन विज्ञान, जैव-परख, चिकित्सा विष विज्ञान एवं पैकेजिंग तथा प्रसंस्करण यूनिट। सीआईएल को जैविक तथा रासायनिक पेस्टिसाइड परीक्षण के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) द्वारा मान्यता प्राप्त है।

1985 — क्षेत्रीय पेस्टीसाइड परीक्षण प्रयोगशाला (आरपीटीएल) की स्थापना

कीटनाशक अधिनियम, 1968 के विभिन्न प्रावधानों और कीटनाशकों के नमूनों की तकनीकी/फॉर्मूलेशन ग्रेड की रासायनिक जांच के लिए बनाए गए नियमों को लागू करने के लिए चंडीगढ़ और कानपुर में प्रयोगशालाओं की स्थापना वर्ष 1985 में की गई, ताकि पेस्टिसाइड गुणवत्ता की और बेहतर निगरानी की जा सकें ।

2007 — टेक्नो-लीगल सेल (टीएलसी) की स्थापना

पीपीक्यूएंडएस निदेशालय तथा दो आरपीटीएल के बीच समन्वय के उद्देश्य से रसायन विज्ञान समन्वय प्रकोष्ठ के रूप में शुरुआत की गयी । इसके अलावा, यह प्रकोष्ठ, राज्य कीटनाशक परीक्षण प्रयोगशालाओं (एसपीटीएल), निदेशालय एवं डीए एंड एफडब्ल्यू के बीच भी समन्वय करता है। ग्यारहवीं ईएफसी पंचवर्षीय योजना में समन्वय प्रकोष्ठ का नाम बदलकर टेक्नो-लीगल प्रकोष्ठ कर दिया गया।

जारी. . . . .

"रेशमकीट बीज क्षेत्र में वनस्पति संगरोध उपाय" पर एक दिवसीय कार्यशाला

3 सितंबर 2024 को एसएसएल, कोडाथी बेंगलुरु में केंद्रीय रेशम बोर्ड के 75 वर्ष समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित "रेशम कीट बीज क्षेत्र में पौध संगरोध उपायों" पर एक दिवसीय कार्यशाला में शामिल होकर डॉ. मधु जी. के., एपीपीओ (डब्ल्यूएस), आरपीक्यूएस, बेंगलुरु ने तक्नीकी जानकारी प्रदानं किया।

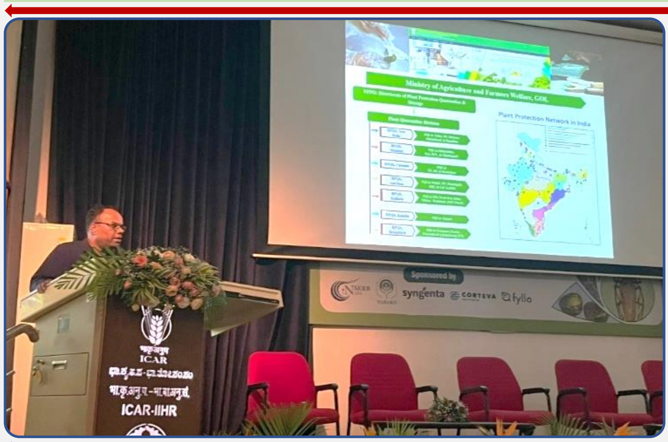

"बागवानी में वनस्पति संरक्षण" विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (आईसीपीपीएच-2024) में भागीदारी: प्रगति और चुनौतियां

डॉ. डी. के. नागराजू, संयुक्त निदेशक (ई) ने 25-27 सितंबर, 2024 के दौरान आईआईएचआर, बेंगलुरु में आयोजित "बागवानी में वनस्पति संरक्षण" पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन" में भाग लिया तथा उन्होंने "जैव सुरक्षा, आक्रामक- नाशीजीव एवं वनस्पति संगरोध" विषय -सत्र की अध्यक्षता के साथ ही "भारत में वनस्पति संगरोध: मुद्दे और चुनौतियां" विषय पर एक व्याख्यान दिया।

DID YOU KNOW?!

लैंटाना कैमरा

एक सजावटी झाड़ी खतरे में बदल गई!!!!!!

भारत में पहली बार सजावटी पौधे के रूप में लैंटाना को 1807 में राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान, कलकत्ता में सजावटी हेज प्लांट के उदेश्य से लाया गया था।

इसके बाद लैंटाना बगीचों से निकलकर पारिस्थितिकी तंत्र पर कब्जा कर चुका है तथा पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में बाहरी हिमालय से लेकर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक फैल चुका है। लैंटाना को दुनिया की सबसे खराब आक्रामक खरपतवार में से एक माना जाता है।

यह भारत में एक प्रमुख खरपतवार बन गया है, जो चरागाहों को नुकसान करने के साथ ही मिट्टी में पोषक चक्र को बदल दे रहा है। लैंटाना संसाधनों एवं स्थान के लिए देशी पौधों के साथ प्रतिस्पर्धा करता है तथा इसका फल जानवरों के लिए भी जहरीला होता है।

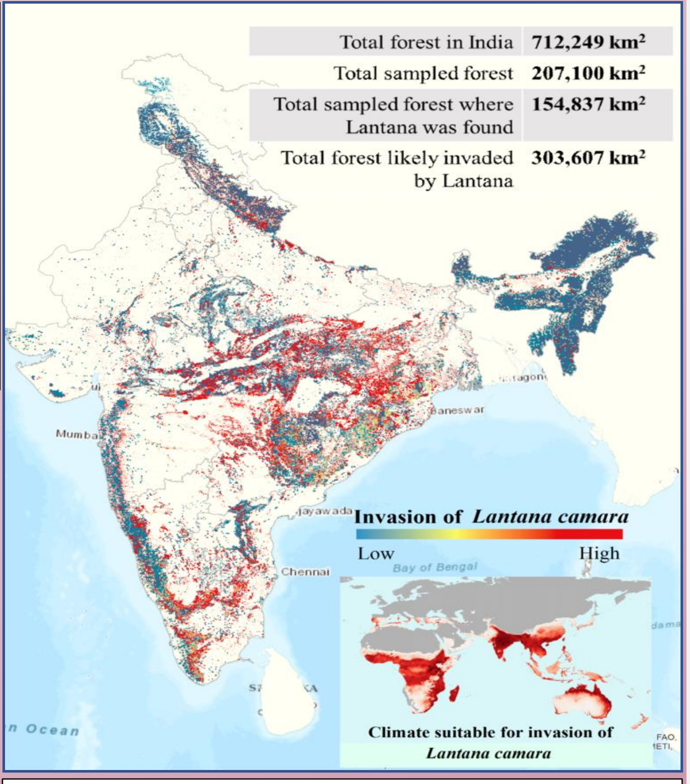

Mungi et al 2020. Photo: Ninad Mungi.

भारतीय वन: ग्रीन- कवर हमेशा वन आवरण नहीं होता

हाल ही में किए गए एक अध्ययन में बताया गया है कि लैंटाना भारत के बाघ आरक्षित क्षेत्र में 154,000 वर्ग किलोमीटर के जंगलों (क्षेत्रफल के हिसाब से 40% से अधिक) पर कब्जा कर चुका है। जंगलों में, उत्तर में शिवालिक पहाड़ियाँ, मध्य भारत के खंडित पर्णपाती वन तथा दक्षिणी पश्चिमी घाट इसके आक्रमण से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं।

लैंटाना को खत्म करने में घनी आबादी वाली ज़मीन पर प्रति हेक्टेयर ₹80,000 से ₹1,20,000 तक का खर्च आ सकता है।

संकाय विकास कार्यक्रम (एफडीपी) में भागीदारी

डॉ. रश्मि पांडे, एडी (ई) तथा डॉ. संतोष पटोले, पीपीओ (पी.पी.) ने राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर एवं नारकोटिक्स अकादमी (एनएसीआईएन), मुंबई द्वारा 25-27 सितंबर, 2024 तक आयोजित 03 दिवसीय संकाय विकास कार्यक्रम (एफडीपी) में भाग लिया।

कृषि निर्यात के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र- त्रिची पर इंटरैक्टिव बैठक में भागीदारी

केंद्रीय एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन केंद्र (सीआईपीएमसी), तिरुचिरापल्ली ने आईसीएआर–एनआरसी केला तथा तमिलनाडु खाद्य प्रसंस्करण एवं कृषि निर्यात संवर्धन निगम (टीएनएपीईएक्स) द्वारा संयुक्त रूप से 27.09.2024 को आईसीएआर–राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र (एनआरसीबी), तिरुचिरापल्ली में आयोजित 'त्रिची- अंतर्राष्ट्रीय कृषि निर्यात केंद्र से तमिलनाडु कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर इंटरैक्टिव बैठक' में भाग लिया।

राज्य कीट निगरानी एवं सलाहकार इकाई की बैठक में भागीदारी

27.09.2024 को कृषि भवन, लखनऊ में डॉ. जितेन्द्र कुमार तोमर, कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में आयोजित राज्य कीट निगरानी एवं सलाहकार इकाई की बैठक में डॉ. जी. पी. सिंह, संयुक्त निदेशक (ई), आरसीआईपीएमसी, लखनऊ ने भाग लिया। उन्होंने पेस्टिसाइड अवशेष मुद्दों तथा पेस्टिसाइड के सुरक्षित एवं विवेकपूर्ण उपयोग के साथ-साथ एनपीएसएस ऐप के महत्व एवं कृषि में इसके अनुप्रयोग के बारे में चर्चा की।

"हवाई मार्ग से ऑस्ट्रेलिया के लिए अनार की पहली खेप की रवानगी"

हवाई मार्ग से ऑस्ट्रेलिया के लिए अनार की पहली खेप' 31 अगस्त, 2024 को निर्यात की गई। समारोह के दौरान एमएसएएमबी, एपीडा तथा निर्यातक के विभिन्न अधिकारियों के साथ-साथ आरपीक्यूएस, मुंबई के वनस्पति संगरोध अधिकारी भी उपस्थित थे।

राष्ट्रीय सेवा योजना
National Service Scheme
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
Ministry of Youth Affairs and Sports
भारत सरकार
Government of India

“एक पेड़ माँ के नाम”

#प्लांट4मदर

“एक पेड़ माँ के नाम” अभियान, 5 जून, 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस पर भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा शुरू किया गया। इस का उद्देश्य भारत में सरकार तथा समाज दोनों के सामूहिक प्रयास के माध्यम से मार्च 2025 तक 1.4 बिलियन पेड़ लगाना है। प्रधान मंत्री ने भारत और दुनिया भर में सभी से माँ प्रकृति को श्रद्धांजलि के रूप में एक पेड़ लगाने का भी आग्रह किया।

आरपीक्यूएस, मुंबई

मुख्यालय

आरपीक्यूएस, अमृतसर

आरपीक्यूएस, बेंगलुरु

"एक पेड़ माँ के नाम" एक ऐसा प्रयास है जो हमारी मातृभूमि और प्रकृति के प्रति हमारे सम्मान और समर्पण को दर्शाता है। इस अभियान का उद्देश्य माँ के नाम पर एक पेड़ लगाना और एक स्थायी स्मृति बनाना है, जो न केवल पर्यावरण की रक्षा करेगा बल्कि हरियाली और समृद्ध भविष्य के निर्माण में भी योगदान देगा। माँ और प्रकृति दोनों ही जीवन का मूल आधार हैं और इस पहल के माध्यम से हम सभी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं।

आरसीआईपीएमसी, लखनऊ

सीआईपीएमसी, इंफाल

आरसीआईपीएमसी, फ़रीदाबाद

सीआईपीएमसी, गोरखपुर

आरसीआईपीएमसी, नागपुर

आरसीआईपीएमसी कोलकाता

सीआईपीएमसी, देहरादून

भारत ने वर्ष 2024 में स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) की 10वीं वर्षगांठ को स्वच्छता ही सेवा अभियान के रूप में मनाया। इस अवसर पर निदेशालय और उसके अधीनस्थ कार्यालयों में अधिकारियों ने स्वच्छता की शपथ ली।

डॉ. जे.पी. सिंह, पीपीए ने प्रत्येक व्यक्ति से अपने परिसर को साफ-सुथरा रखकर एवं श्रमदान कर स्वच्छता अभियान में भाग लेने का आग्रह किया।

मुख्यालय

आरपीक्यूएस, मुंबई

आरपीक्यूएस, कांडला

आरपीक्यूएस, बेंगलुरु

पीक्यूएस, कालीकट

आरपीक्यूएस, अमृतसर

पीक्यूएस, मैंगलोर

सीआईपीएमसी, भुवनेश्वर

सीआईपीएमसी, आगरा

आरसीआईपीएमसी, लखनऊ

आरसीआईपीएमसी, नागपुर

आरसीआईपीएमसी, फ़रीदाबाद

प्रशिक्षण एवं कार्यशालाएँ

डीएईएसआई पाठ्यक्रम के छात्रों द्वारा आरसीआईपीएमसी कोलकाता का भ्रमण

एनटीआई-शस्य श्यामला कृषि विज्ञान केंद्र, आरकेएमवीईआरआई के डीएईएसआई पाठ्यक्रमों के 77 छात्रों ने 19.07.2024 को आरसीआईपीएमसी, कोलकाता में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। उन्हें विभिन्न क्षेत्रों विशेष रूप से डीपीपीक्यूएस के सीआईएल और सीआईबीआरसी के कार्य, जैव नियंत्रण प्रयोगशाला के कामकाज, विभिन्न लागत प्रभावी आईपीएम तकनीकों के प्रदर्शन, पेस्टिसाइड के सुरक्षित और विवेकपूर्ण उपयोग, शिकारी, परजीवी एवं बायो-पेस्टिसाइड के बड़े पैमाने पर उत्पादन पर प्रदर्शन एवं फल मक्खी ट्रैप तैयार करने विधि के बारे में बताया गया।

बीएससी (कृषि) के छात्रों का आरसीआईपीएमसी नागपुर का दौरा

जी.एच. रायसोनी विश्वविद्यालय साईखेड़ा, नागपुर के 70, बी.एससी. (कृषि) छात्रों ने 09.08.2024 को आरसीआईपीएमसी नागपुर का दौरा किया तथा पेस्टिसाइड के सुरक्षित एवं विवेकपूर्ण उपयोग के बारे में जानकारी प्राप्त की। साथ ही खेत अपशिष्ट कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करके जैव नियंत्रण एजेंट ट्राइकोडर्मा एसपी के बड़े पैमाने पर उत्पादन पर व्यावहारिक प्रदर्शन / प्रशिक्षण भी प्राप्त किया।

इनपुट डीलरों के लिए कृषि विस्तार सेवाओं में डिप्लोमा हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम

दिनांक 02.08.24 को सीआईपीएमसी गोरखपुर ने इनपुट डीलरों के लिए कृषि विस्तार सेवाओं में डिप्लोमा हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया और 55 इनपुट डीलरों को प्रशिक्षिण दिया गया।

जैव नियंत्रण एजेंटों के बड़े पैमाने पर उत्पादन विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

सीआईपीएमसी एर्नाकुलम ने, 05.09.2024 को केंद्रीय भवन, एर्नाकुलम में केरल कृषि विश्वविद्यालय, वेल्लानिकारा के एमएससी कृषि छात्रों के लिए जैव नियंत्रण एजेंटों के बड़े पैमाने पर उत्पादन विषय पर एक दिवसीय व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

सेब की फसल पर सीज़न लॉन्ग ट्रेनिंग प्रोग्राम (एस.एल.टी.पी.)

सीआईपीएमसी, श्रीनगर द्वारा दिनांक 11.07.2024 से 09.08.2024 के दौरान सेब की फसल पर सीजन लॉन्ग ट्रेनिंग प्रोग्राम (एसएलटीपी) का आयोजन किया गया, जिसमें 40 प्रतिभागियों (राज्य कृषि विभाग के अधिकारियों एवं अन्य विस्तार कार्यकर्ताओं) को आईपीएम में मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया गया। डॉ. सुनीता पांडे, संयुक्त निदेशक (ई) ने प्रशिक्षुओं को सेब में आईपीएम पर सीजन लॉन्ग ट्रेनिंग प्रोग्राम के महत्व पर संबोधित किया।

कार्यक्रम में सेब की फसलों को प्रभावित करने वाले एप्पल लीफ ब्लॉच माइनर (एएलबीएम) और अन्य महत्वपूर्ण कीटों और बीमारियों के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया गया। फील्ड विजिट के दौरान प्रतिभागियों को ज़ैनापोरा, शोपियां में एसीएचडी फार्म ले जाया गया, जहां एएलबीएम पहली बार कश्मीर में रिपोर्ट हुई थी। इसके साथ ही सभी प्रतिभागियों ने एसकेयूएएसटी-के की जैव-नियंत्रण प्रयोगशाला और लस्सीपोरा, पुलवामा में फल प्रसंस्करण इकाई का भी विजिट कर जानकारी प्राप्त की।

एसकेयूएएसटी-के में पेस्टिसाइड परीक्षण प्रयोगशाला का दौरा

कीटनाशकों के सुरक्षित उपयोग का प्रदर्शन

आईसीएआर-सीआईटीएच का दौरा

दिनांक:10.08.2024 को समापन सत्र में, डॉ. जे. पी. सिंह, पीपीए ने प्रशिक्षुओं को संबोधित किया तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफल समापन पर अपनी संतुष्टि व्यक्त की।

आईपीएम पर पांच दिवसीय मानव संसाधन विकास कार्यक्रम

सीआईपीएमसी, एर्नाकुलम

केरल के राज्य कृषि विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों और गैर सरकारी संगठनों के लिए 08.07.2024 से 12.07.2024 तक सीआईपीएमसी, एर्नाकुलम के द्वारा आईपीएम पर पांच दिवसीय मानव संसाधन विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न जिलों से कुल 40 प्रतिभागियों ने भाग लिया। तकनीकी सत्र मुख्य रूप से हानिकारक रासायनिक पेस्टिसाइड के उपयोग में कमी तथा जैव नियंत्रण एजेंटों के बड़े पैमाने पर उत्पादन पर केंद्रित था।

आरसीआईपीएमसी, नागपुर

आरसीआईपीएमसी, नागपुर में 29.07.2024 से 02.08.2024 तक आईपीएम पर पांच दिवसीय मानव संसाधन विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महाराष्ट्र (23 प्रशिक्षु) और मध्य प्रदेश (17 प्रशिक्षु) राज्यों के 40 कृषि विस्तार/तकनीकी सहायक/कृषि अधिकारी/कर्मचारी शामिल रहें।

आरसीआईपीएमसी, लखनऊ

5 से 9 अगस्त, 2024 तक आरसीआईपीएमसी, लखनऊ में आईपीएम पर पांच दिवसीय मानव संसाधन विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश राज्य कृषि विभाग के 40 अधिकारियों ने भाग लिया तथा उन्हें आईपीएम तकनीक पर प्रशिक्षित किया गया एवं एनपीएसएस के बारे में जानकारी दी गई। तकनीकी सत्र मुख्य रूप से हानिकारक रासायनिक पेस्टिसाइड के उपयोग में कमी और जैव नियंत्रण एजेंटों के बड़े पैमाने पर उत्पादन पर केंद्रित था।

आरसीआईपीएमसी, बेंगलुरु

26.08.2024 से 30.08.2024 तक आरसीआईपीएमसी, बेंगलुरु द्वारा जिला कृषि प्रशिक्षण केंद्र (डीएटीसी) मैसूर में आईपीएम पर पांच दिवसीय मानव संसाधन विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कर्नाटक राज्य कृषि विभाग के 40 अधिकारियों ने भाग लिया तथा उन्हें आईपीएम प्रथाओं पर प्रशिक्षित किया गया एवं एनपीएसएस के बारे में जानकारी दी गई।

संवाद सह प्रशिक्षण सत्र

कीट–व्याधियों के निदान, नाशीजीव जोखिम विश्लेषण, नाशीजीव निगरानी तथा वनस्पति स्वच्छता उपचार पर उज्बेकिस्तान देश के 28 वनस्पति संगरोध अधिकारियों के साथ संवाद सह प्रशिक्षण सत्र 19-09-2024 को पीक्यूएस, हैदराबाद में आयोजित किया गया।

हितधारकों के साथ सहभागिता

निर्यात तथा आयात प्रमाणन पर हितधारकों के साथ सहभागिता बैठक 23.09.2024 को पीक्यूएस, हैदराबाद में आयोजित की गई जिसमें 12 निर्यातक, आयातक, सीएचए उपस्थित रहें।

हितधारकों के साथ बैठक

आरपीक्यूएस, मुंबई, एपीडा, एमएसएएमबी कर्मचारियों तथा यूरोपीय संघ (ईयू) को ताजे फल एवं सब्जियों के निर्यातकों के साथ 30.09.2024 को आरपीक्यूएस, मुंबई में एक बैठक आयोजित की गई।

हितधारकों के साथ बैठक

ताजे फलों एवं सब्जियों के आयातकों तथा निर्यातकों के साथ 23.08.2024 को पीक्यूएस, त्रिवेंद्रम में बैठक आयोजित की गई।

भारत का राजपत्र महत्वपूर्ण अधिसूचनाएं

सत्यमेव जयते

एस.ओ. 2914(ई) दिनांक 22 जुलाई, 2024: वनस्पति संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 की अनुसूची VI में संशोधन। -सेचियम एड्यूले (चायोट), उपभोग के लिए पूरा पौधा, नेपाल क्रमशः शामिल किया गया।

एस.ओ. 2986(ई) दिनांक 24 जुलाई, 2024- वनस्पति संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 की अनुसूची VI; ब्रोमेलिएसी एसपीपी., पौधे, नीदरलैंड, निम्न से मुक्त: (ए) डायस्पिस ब्रोमेलिया (अनानास स्केल) (बी) फ्रैंकलिनिएला ऑक्सीडेंटलिस (थ्रिप्स) (सी) एक्सरोहिलम रोस्ट्रेटम (लीफ स्पॉट), 45-60 दिनों की अवधि के लिए प्रवेश के बाद संगरोध।

जी.एस.आर. 507(ई) दिनांक 16 अगस्त, 2024-ड्राफ्ट नियम

1971 कीटनाशक नियम, 1971 (जिसे इसके बाद उक्त नियम कहा जाएगा) में, नियम 10 में:-

(1) उप-नियम (1बी) में, शब्द "या मौजूदा लाइसेंस का नवीनीकरण" को हटा दिया जाएगा।

(2) उप-नियम (1सी) में, शब्द "नब्बे" के स्थान पर शब्द "तीस" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(3) उप-नियम 4 में, खंड (iii) में निम्नलिखित परंतुक डाला जाएगा, अर्थात्:- "बशर्ते कि तिलचट्टे, मच्छरों, घरेलू मक्खियों और खटमल के नियंत्रण के लिए घरेलू उद्देश्य के लिए सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले कीटनाशकों की बिक्री, स्टॉक या बिक्री के लिए प्रदर्शन करने के लाइसेंस में किसी अतिरिक्त कीटनाशक के लिए ऐसा कोई समर्थन आवश्यक नहीं है"

(4) उप-नियम (4ए) में खंड (iv) के बाद निम्नलिखित खंड डाला जाएगा, अर्थात्:- "(v) खंड (i) से (iv) में उल्लिखित मुख्य प्रमाणपत्र केवल तिलचट्टे, मच्छरों, घरेलू मक्खियों और खटमल के नियंत्रण के लिए घरेलू उद्देश्य के लिए सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले कीटनाशकों की बिक्री, स्टॉक या बिक्री के लिए प्रदर्शन करने के लाइसेंस के लिए लागू नहीं है।

नियम 18 के उप-नियम (1) में, खंड (यू) के बाद निम्नलिखित परंतुक डाला जाएगा, अर्थात्:- बशर्ते कि घरेलू उद्देश्य (तिलचट्टे, मच्छरों, घरेलू मक्खियों और खटमल के नियंत्रण के लिए) के लिए सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले कीटनाशकों के खुदरा पैक (प्राथमिक या द्वितीयक पैक, जैसा भी मामला हो) पर क्यूआर कोड लगाया जा सकता है। :

1. क्यूआर कोड को उपयुक्त स्थान पर रखें, जहां मोबाइल फोन जैसे स्कैनिंग उपकरण द्वारा क्यूआर कोड को स्कैन करने पर, विनिर्माण कंपनी का यूआरएल खोलने के लिए एक वेब लिंक या लिंक दिखाई देगा, जिसे दबाने या क्लिक करने पर उपयोगकर्ता को पत्रक की संपूर्ण विशिष्ट जानकारी मिल जाएगी और क्यूआर कोड में नियम 18 के उपनियम (1) की सभी सामग्री होगी।

उक्त नियमों में, "प्रथम अनुसूची" में "प्रपत्र II, केवल तिलचट्टे, मच्छरों, घरेलू मक्खियों और खटमल के नियंत्रण के लिए घरेलू प्रयोजन के लिए सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले कीटनाशकों को बेचने, स्टॉक करने या बिक्री के लिए प्रदर्शित करने के लिए लाइसेंस देने के लिए आवेदन" डाला जाएगा।

उक्त नियमों में, "प्रथम अनुसूची" में "प्रपत्र III, केवल तिलचट्टे, मच्छरों, घरेलू मक्खियों और खटमल के नियंत्रण के लिए घरेलू प्रयोजन के लिए सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले कीटनाशकों को बेचने, स्टॉक करने या बिक्री के लिए प्रदर्शित करने के लिए लाइसेंस" डाला जाएगा।

एस.ओ. 3551(ई) दिनांक 22 अगस्त, 2024 वनस्पति संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 की अनुसूची VI में संशोधन, ब्लू बेरी और क्रैनबेरी (वैक्सीनियम एसपीपी.), उपभोग के लिए ताजा फल, पोलैंड वैक्सीनियम कोरिम्बोसम (ब्लू बेरी), निम्न से मुक्त: a) एकैलिटस वैक्सीनी (ब्लूबेरी बड माइट्स) b) स्यूडोमोनास विरिडीफ्लवा (ब्लॉसम ब्लाइट), आयात की विशेष शर्तें a) एनपीपीओ, पोलैंड पंजीकृत बागों से ब्लूबेरी फल की सोर्सिंग, संबंधित संगरोध कीटों के लिए बागों में कीट प्रबंधन और एनपीपीओ, पोलैंड पंजीकृत पैकहाउस में प्रसंस्करण। b) मिट्टी और अन्य पौधों के मलबे से मुक्त।

एस.ओ. 3890(ई) दिनांक 10 सितम्बर, 2024- वनस्पति संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 की अनुसूची VI में संशोधन,

i) साइट्रस एसपीपी। (नींबू, नीबू, संतरा, अंगूर, मंदारिन, आदि और अन्य रुटेशियस) और उपभोग के लिए ताजे फल - ऑस्ट्रेलिया-इनसे मुक्त: (ए) एस्पिडियोटस नेरी (अउकुबा स्केल) (बी) बैक्ट्रोसेरा एक्विलोनिस (सी) बैक्ट्रोसेरा जार्विसी (डी) बैक्ट्रोसेरा नियोह्यूमरेलिस (ई) बैक्ट्रोसेरा ट्राइओनी (क्वींसलैंड फ्रूट फ्लाई) (एफ) सेराटाइटिस कैपिटाटा (मेडिटेरेनियन फ्रूट फ्लाई) (जी) एपिफियास पोस्टविटाना (हल्के भूरे सेब का कीट) (एच) गुइग्नार्डिया सिट्रिकार्पा (साइट्रस ब्लैक स्पॉट) (i) स्यूडोकोकस कैल्सियोलारिया (स्कार्लेट माइलबग) (जे) अनस्पिस सिट्री (साइट्रस स्नो स्केल)

एस.ओ. 3890(ई) दिनांक 10 सितम्बर, 2024- वनस्पति संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 की अनुसूची VI में संशोधन

i) साइट्रस एसपीपी. (नींबू, नीबू, संतरा, अंगूर, मंदारिन, आदि और अन्य रुटेशियस), उपभोग के लिए ताजे फल - ऑस्ट्रेलिया - इनसे मुक्त: (ए) एस्पिडियोटस नेरी (अउकुबा स्केल) (बी) बैक्ट्रोसेरा एक्विलोनिस (सी) बैक्ट्रोसेरा जार्विसी (डी) बैक्ट्रोसेरा नियोहुमेरालिस (ई) बैक्ट्रोसेरा ट्रायोनी (क्वींसलैंड फ्रूट फ्लाई), (एफ) सेराटाइटिस कैपिटाटा (मेडिटेरेनियन फ्रूट फ्लाई) जी) एपिफियास पोस्टविटाना (हल्का भूरा सेब कीट) (एच) गुइग्नार्डिया सिट्रिकार्पा (साइट्रस ब्लैक स्पॉट) (i) स्यूडोकोकस कैल्सोलारिया (स्कार्लेट माइलबग) (जे) अनस्पिस सिट्री (साइट्रस स्नो स्केल)।

ii) वैक्सीनियम एसपीपी। (ब्लू बेरी और क्रैनबेरी – उपभोग के लिए ताजा फल, ऑस्ट्रेलिया, एस्पिडियोटस नेरी (ऑक्यूबा स्केल) बी) बैक्ट्रोसेरा ट्रायोनी (क्वींसलैंड फल मक्खी) सी) गुइग्नार्डिया वैक्सीनी (बेरी स्पैकल) डी) स्यूडोमोनास विरिडीफ्लवा (टमाटर का जीवाणु पत्ती ब्लाइट (यूएसए)) ई) सेराटाइटिस कैपिटाटा (भूमध्यसागरीय फल मक्खी)।

iii) स्टोन फ्रूट (बेर, आड़ू, चेरी, खुबानी, बादाम, अमृत) (प्रूनस एसपीपी), खपत के लिए ताजे फल, ऑस्ट्रेलिया, मुक्त: ए) ओरिएंटल फल कीट (साइडिया मोलेस्टा) बी) जिप्सी कीट (लिमांट्रिया डिस्पर) सी) भूमध्यसागरीय फल मक्खी (सेराटाइटिस कैपिटाटा) डी) मंचूरियन फल कीट (साइडिया इनोपिनाटा) ई) चेरी फल कीड़ा (साइडिया पैकार्डी) एफ) बेर कीट (साइडिया प्रुनिवोरा) जी) आड़ू फल कीट (कारपोसिना निपोनेनोसिस) एच) क्वींसलैंड फल मक्खी (बैक्ट्रोसेरा ट्रायोनी)।

एस.ओ. 3950(अ) दिनांक 13 सितंबर, 2024: कीटनाशक अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कीटनाशक नियम, 1971 के नियम 26 के साथ पठित, और भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि और किसान कल्याण विभाग) की अधिसूचना, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि.745(अ), दिनांक 14 अक्तूबर, 2021 द्वारा प्रकाशित हुई थी, को ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई या करने से छूटी हुई बातों के सिवाय, अधिक्रमण करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय के अधिकारियों को अधिकारिता वाले कीटनाशक निरीक्षकों के रूप में नियुक्त करती है।

4261(ई) दिनांक 27 सितम्बर, 2024: अध्याय-II में संशोधन – खंड-3 (14) (i) (ए) और (डी) को निम्नलिखित प्रविष्टियों से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(ए) प्रसार के लिए बीज और पौधों तथा विनियमित वस्तुओं जैसे जीवित कीट, सूक्ष्मजीवी संवर्धन, जैव-नियंत्रण एजेंट, मिट्टी, उगाने वाले माध्यम (मिट्टी, पीट या अन्य कार्बनिक पदार्थों के साथ) और पीट या स्फागनम मॉस की सभी खेपों को केवल क्षेत्रीय वनस्पति संगरोध स्टेशनों, अमृतसर, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, कांडला या इस उद्देश्य के लिए समय-समय पर अधिसूचित किसी अन्य प्रवेश बिंदु के माध्यम से भारत में आयात किया जाएगा, बशर्ते कि जर्मप्लाज्म/ट्रांसजेनिक वनस्पति सामग्री और आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों के आयात की अनुमति केवल नई दिल्ली हवाई अड्डे के माध्यम से दी जाएगी।

(डी) प्रसार और उपभोग सामग्री के लिए बीजों और पौधों के आयात के लिए वनस्पति संगरोध स्टेशन, कांडला का नाम बदलकर क्षेत्रीय वनस्पति संगरोध स्टेशन, कांडला कर दिया गया है।

मीडिया कवरेज

डॉ. सुनीता पांडे, संयुक्त निदेशक (ई) ने 18.09.2024 को डीडी किसान में **"धान की फसल में स्वार्मिंग कैटरपिलर के एकीकृत कीट प्रबंधन"** पर एक व्याख्यान दिया।

डॉ. जी. पी. सिंह, संयुक्त निदेशक (ई) आरसीआईपीएमसी, लखनऊ 13.09.2024 को आकाशवाणी, लखनऊ उत्तर प्रदेश में **फलदार फसलों में कीट एवं रोग प्रबंधन** पर रेडियो वार्ता में शामिल हुए।

डॉ. वी.डी. निगम, डीडी (ई) ने 11.09.2024 को डीडी किसान में **"एकीकृत कीट प्रबंधन"** पर एक व्याख्यान दिया।

एप्पल लीफ ब्लॉच माइनर

सेब उत्पादकों के लिए एक नयी समस्या

एप्पल लीफ ब्लॉच माइनर (एएलबीएम), एक आक्रामक कीट है, जिसे पहली बार 2020-21 के दौरान दक्षिण एवं उत्तरी कश्मीर के विभिन्न सेब के बागों में रिपोर्ट की गई थी।

ऐसा माना जाता है कि यह कीट विभिन्न उच्च घनत्व वाली रोपण सामग्री के आयात के साथ आया है। एएलबीएम एक अपेक्षाकृत कम प्रभावी कीट था। हालाँकि, 2023 में इसकी आबादी में तेज़ी से वृद्धि देखी गई है, घाटी के लगभग हर कोने में इसके उपस्थिति की सूचना मिली है।

लक्षण :

- लीफ माइनर पत्ती के मेसोफिल को खाना शुरू कर देता है, जिससे माइंस/ब्लॉच विकसित होते हैं एवं परिणामस्वरूप नेक्रोसिस तथा द्वितीयक संक्रमण होता है और अंत में प्रकाश संश्लेषण प्रभावित होने लगता है।
- पत्तियों के नुकसान से समग्र वृक्ष स्वास्थ्य प्रभावित होता है और फलों के गिरने को भी समस्या बढ़ जाती है।

इस बढ़ते खतरे का आकलन करने और उससे निपटने के प्रयास से, भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के फरीदाबाद स्थित वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय की एक टीम ने एस.के.यू.ए.एस.टी.-के. के बागवानी संकाय के कीट विज्ञान प्रभाग के वैज्ञानिकों तथा अन्य स्थानीय विशेषज्ञों के सहयोग से एक विशेष सर्वेक्षण किया एवं सेब उत्पादकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है।

नियंत्रण उपाय :

- पत्तियों पर माइन्स की उपस्थिति की निगरानी करें, संक्रमित पत्तियों को हटा दें तथा नष्ट कर दें,
- कीटों को सर्दियों में पनपने से रोकने के लिए बाग में नियमित सफ़ाई करें,
- छाल और तने के क्षेत्र से प्यूपा और लार्वा का यांत्रिक विनाश,
- बाग में हवा के संचार को बेहतर बनाने और छाया को रोकने के लिए छंटाई करें, क्योंकि कीट पत्तियों के छायादार क्षेत्र में अंडे देते हैं,
- अत्यधिक पोषक-पदार्थ देने से बचें तथा पीले चिपचिपे जाल की स्थापना करें,
- ए.एल.बी.एम. कीट के प्रबंधन पर एक विस्तृत सलाह निम्न लिंक से ली जा सकती है: https://ppqs.gov.in/sites/default/files/advisory_for_apple_leaf_blotch_miner.pdf

प्रकाशित :

वनस्पति संरक्षण सलाहकार

वनस्पति संरक्षण संगरोध एवं संग्रह निदेशालय,
सीजीओ कॉम्प्लेक्स, एनएच-IV, फरीदाबाद,
हरियाणा -121001
दूरभाष: 0129-2413985, ईमेल:-ppa@nic.in

डिज़ाइन एवं संकलनकर्ता :

श्री ज्ञानेश्वर बंछोर, उप निदेशक (की.वि.)
श्री बी बी कुमार, सहा. नि. (ख.वि.)
श्री विशाल एल गटे, व.सं.अधि. (व.रो.वि.)
सुश्री भावना आर.सिंह, सहा.व.सं.अधि. (की.वि.)
श्री रोहित एम., सहा.व.सं.अधि. (व.रो.वि.)